प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :–2023
   प्र0सू0रि0 सं ......62/2023......दिनांक......17/3/2023......
2. (1) अधिनियम ....धाराऐं.........**7,7ए पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 व 120बी. भा.द.सं.** ....
3. (क) घटना का दिन :– गुरूवार :– दिनांक 16.03.2023
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– **01.03.2023 समय :–04.00 पी.एम.**
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....303........ समय.........7:00 PM..........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक)
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी – **बजानिब दक्षिण–पश्चित, चौकी बून्दी से करीब 65 कि0मी0**
   बीट संख्या..जुरामदेही सं...
   (ख) पताः– **कार्यालय उप तहसील डाबी तहसील तालेडा जिला बूंदी।**
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :–**श्री खाना मेघवाल**
   (ख) पति का नाम :–**श्री कालू**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **64 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या........................जारी करने की तिथि..............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –खेती बाडी
   (छ) पता :– **ग्राम गोपालपुरा, थाना डाबी जिला बून्दी**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   (1) रामकुमार पुत्र श्री लाखन सिंह उम्र 32 साल जाति गुर्जर मूल निवासी ग्राम फुसपुरा पोस्ट धोर तहसील बसेडी जिला धोलपुर हाल निवासी प्लाट नं. जे–14 पार्वतीपुरम कुन्हाडी कोटा शहर हाल पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी।
   (2) गोबरीलाल पुत्र रामदयाल जाति ढोली उम्र 42 साल निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल ग्राम प्रतिहारी पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः –**20,000 रूपये** ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 01.03.2023 समय 04.00 पी.एम. पर परिवादी खाना पुत्र कालू जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा थाना डाबी जिला बूंदी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया तथा श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बूंदी को एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि –" प्रार्थी गांव गोपालपुरा थाना डाबी जिला बूंदी का रहने वाला है। मेरी व मेरे परिवार के शामलाती कब्जे काश्त की जमीन करीब 10 बीघा ग्राम गोपालपुरा में स्थित है। उक्त जमीन पर हमारे परिवार का काफी सालों से कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त जमीन पटवारी गोपालपुरा के रिकार्ड में मेरे पिता कालू पुत्र रामचन्द्र व अन्य परिवार जनों के नाम दर्ज है। मेरे पिताजी कालू की मृत्यु होने के बाद मैंने उनके स्थान पर मेरे व मेरे भाई धनश्याम के नाम रिकार्ड दर्ज करवाने बाबत पटवार घर गया तो वहां गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी मिला, जिसने उक्त जमीन मेरे नाम रिकार्ड में दर्ज करने बाबत पचास हजार रूपये रिश्वत की मांग की एवं कहा कि पटवारी जी रामकुमार गुर्जर का सारा काम मैं ही सम्भालता हूॅं तथा इस काम के लिये पटवारी जी ने पचास हजार रूपये लेने को कहा है। मेरे व गोबरीलाल के बीच में हुई बातचीत को मैंने मेरे मोबाईल फोन में रिकार्ड कर रखा है जो मेरे मोबाईल में सुरक्षित है। मैं मेरे जायज काम के लिये पटवारी रामकुमार गुर्जर व ग्राम प्रतिहारी गोबरीलाल को रिश्वत नही देना चाहता हूॅं। रिपोर्ट कानूनी कार्यवाही हेतु पेश है।"

परिवादी खाना मेघवाल ने पूछताछ पर बताया कि "मैं बहुत कम पढा लिखा हुआ हूँ। मेरे जानकार से यह रिपोर्ट टाईप करवाकर लाया हूँ। ग्राम प्रतिहारी गोबरीलाल मेरे गांव गोपालपुरा का ही रहने वाला है, गोबरीलाल ने मेरे से गांव गोपालपुरा में स्थित हमारे कब्जे की जमीन खसरा नम्बर 209 रकबा करीब 10 बीघा के कब्जे का धारा 91 का नोटिस जारी कर रिकार्ड में दर्ज करने की बात की तो मैंने मेरे से पटवारी जी के नाम से 50000 रूपये रिश्वत की मांग की थी तथा कहा कि अन्य लोगों ने भी पटवारी जी को पैसे देकर काम करवाया है। गोबरीलाल पटवारी जी रामकुमार गुर्जर की दलाली का काम करता है। आज गोबरीलाल व पटवारी रामकुमार दोनों पटवार घर, जो डाबी उप तहसील कार्यालय में है, वहां पर नही आये है। कल दिनांक 02.03.2023 को पटवारी व गोबरीलाल के डाबी आने की सम्भावना है।" परिवादी द्वारा गोबरीलाल के साथ हुई बातचीत को स्वयं के मोबाईल में रिकार्ड करना बताया है। अतः परिवादी को उक्त वार्ता को सुरक्षित अपने पास रखने के निर्देश दिये गये। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजीद दरयाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का होना पाया जाने पर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना तय किया गया।

परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु व बन्द करने की विधि समझाई गई। श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बूंदी द्वारा परिवादी का परिचय श्री राम सिंह कानि. 78 से करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नम्बर एक दूसरे को अंकित करवाये जाकर कल दिनांक 02.03.2023 को डाबी जाकर रिश्वत माग का गोपनीय सत्यापन करने के निर्देश दिये एवं बाद हिदायत रूखस्त किया गया।

दिनांक 02.03.2023 को श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बूंदी द्वारा श्री राम सिंह कानि. 78 को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि डाबी पहुँचकर परिवादी खाना मेघवाल से सम्पर्क कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश दिये जाकर कस्बा डाबी रवाना किया गया।

समय 11.00 पी.एम. पर राम सिंह कानि. 78 ने श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बूंदी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि "निर्देशानुसार आज सुबह मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर कस्बा डाबी पहुँचा, जहां परिवादी खाना मेघवाल उपस्थित आया। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय उप तहसील डाबी भेजा गया। मैं भी उप तहसील कार्यालय के आपपास मुकीम रहा। करीबन 35 मिनट बाद परिवादी खाना मेघवाल मेरे पास आया तो मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी से पूछने पर बताया कि मैं पटवार घर के अन्दर गया तो मुझे पटवारी रामकुमार गुर्जर नही मिला तथा ग्राम प्रतिहारी गोबरीलाल मिला, जिसने पूर्व में हुई बातचीत के अनुसार मेरे से बात करके राजस्व रिकार्ड में हमारे कब्जे की जमीन के नोटिस में मेरा नाम दर्ज करने बाबत पटवारी के लिये 50,000 रूपये रिश्वत की मांग की है तथा बातचीत के दौरान गोबरीलाल ने पटवारी रामकुमार गुर्जर से भी मेरे काम के लिये धारा 91 के नोटिस मे मेरा नाम दर्ज करने के बारे में बातचीत की थी तो पटवारी ने कल आने के लिये कहकर फोन काट दिया।" इसके बाद मैंने परिवादी के मोबाईल से उसके द्वारा दिनांक 27.02.2023 को गोबरीलाल के साथ हुई रिश्वत सम्बंधी हुई बातचीत को परिवादी द्वारा पेश करने पर मेरे मोबाईल में लेकर सुरक्षित रखा। तत्पश्चात निर्देशानुसार मैं परिवादी को मौके पर ही छोड कर कार्यालय आया तथा डिजिटल वॉईस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा।" श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो बूंदी ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाकर सुना तो राम सिंह कानि. 78 द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया तथा परिवादी द्वारा राम सिंह कानि. को पेश मोबाईल में रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो गोबरीलाल द्वारा परिवादी से उसके कब्जे की जमीन के सम्बंध में धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का नोटिस जारी करने की एवज में 50,000 रूपये की मांग करने की पुष्टि होना पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक द्वारा सुरक्षित रखवाया गया।

कार्यवाही में आरोपी पटवारी से रिश्वत मांग सत्यापन के सम्बंध में परिवादी से दिनांक 03.03.2023, 10.03.2023 व 13.03.2023 को श्री राम सिंह कानि. 78 से फोन पर वार्ता हुई तो परिवादी द्वारा आरोपीगण रामकुमार गुर्जर पटवारी व गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी के उप तहसील डाबी में नही आना बताने के कारण आरोपी पटवारी से सत्यापन सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही नही हो पाई।

श्री राम सिंह कानि. 78 से परिवादी की मोबाईल फोन पर हुई वार्ता के अनुसार दिनांक 14.03.2023 समय 10.00 ए.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 को श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर निर्देश दिये गये कि कस्बा डाबी पहुँचकर परिवादी खाना मेघवाल से सम्पर्क कर आरोपी पटवारी से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के निर्देश देकर कस्बा डाबी रवाना किया गया।

समय 06.00 पी.एम. पर श्री राम सिंह कानि. 78 उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया तथा श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक को डिजिटल वॉईस रिकार्डर पेश कर बताया कि "निर्देशानुसार आज मैं डिजिटल वॉईस रिकार्डर लेकर कस्बा डाबी पहुँचा, जहां परिवादी खाना मेघवाल उपस्थित आया। परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चालु करवाकर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय उप तहसील डाबी भेजा

गया। मैं भी उप तहसील कार्यालय के आपपास मुकीम रहा। करीबन 40 मिनट बाद परिवादी खाना मेघवाल मेरे पास आया तो मैंने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा तथा परिवादी से पूछने पर बताया कि "मैं पटवार घर के अन्दर गया तो मुझे पटवारी रामकुमार गुर्जर मिला, जिससे मेरी जमीन के सम्बंध में बातचीत करके कब्जे की सरकारी जमीन का नोटिस मेरे व मेरे भाई धनश्याम के नाम जारी करने के लिये कहा तो पटवारी ने गोबरीलाल से हुई बातचीत के अनुसार मेरे से 50000 रूपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे से पटवारी ने कहा कि अभी कितने लाया है, तब मैंने मेरे पास 10,000 रूपये होना बताया तो पटवारी रामकुमार ने बातचीत के दौरान ही मेरे 10,000 रूपये लेकर अपनी जेब में रख लिये तथा शेष रूपये दिनांक 15.03.2023 को लेकर आने को कहा है परन्तु मैने पटवारी को परसों आने की बात कही तो पटवारी सहमत हो गया। बातचीत के दौरान पटवारी जी के पास एक आदमी अन्य भी बैठा था, जिसने पटवारी से बातचीत के दौरान मेरे मोबाईल नम्बर नोट किये थे। "

इसके बाद निर्देशानुसार मैं परिवादी को मौके पर ही छोड कर कार्यालय आया। श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाकर सुना तो राम सिंह कानि. 78 द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। सत्यापन वार्ताओं से आरोपी रामकुमार गुर्जर पटवारी द्वारा आरोपी दलाल गोबरीलाल के माध्यम से मिलीभगत करके परिवादी से उसके कब्जे काश्त की सरकारी जमीन के सम्बंध में कब्जे के नोटिस में परिवादी का नाम दर्ज करने की एवज में 50000 रूपये रिश्वत की मांग करना एवं पटवारी द्वारा 10,000 रूपये रिश्वत सत्यापन के दौरान लेना पाया गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक द्वारा सुरक्षित रखवाया गया।

दिनांक 15.03.2023 को दो स्वतंत्र गवाहान तलबी हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता (ए-द्वितीय) जयपुर डिस्कॉम, बूंदी के नाम तहरीर जारी कर श्री राम सिंह कानि. 78 को कार्यालय सहायक अभियन्ता (ए-द्वितीय) जयपुर डिस्कॉम, बूंदी भेजकर गवाह पाबन्द करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश देकर अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता-प्रथम दिनांक 02.03.2023 एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता- द्वितीय दिनांक 14.03.2023 तथा परिवादी खाना मेघवाल द्वारा स्वयं के मोबाईल में श्री गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी से रिश्वत सम्बंधी वार्ता, जो राम सिंह कानि. 78 के मोबाईल में सुरक्षित है, के तथ्यों से अवगत करवाया गया।

दिनांक 16.03.2023 समय 07.30 ए.एम. पर कार्यालय सहायक अभियंता, (अ-द्वितीय) जयपुर डिस्कॉम बून्दी से तलविदा स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री रामप्रताप उम्र 46 साल जाति बैरवा, निवासी रॉयल सिटी, देवपुरा थाना सदर जिला बून्दी हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री रामसागर पुत्र श्री भंवर लाल जाति गुर्जर उम्र 30 साल निवासी ग्राम देवपुरा पोस्ट आतरंदा तहसील नैनंवा, जिला बून्दी हाल तकनीकी सहायक-द्वितीय उपस्थित ब्यूरो कार्यालय बूंदी आये।

समय 10.15 ए.एम. पर श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के जरिये मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर सरकारी वाहन बोलेरो के डैस्क बोर्ड में रखवाई गई तथा दूसरे प्राइवेट वाहन में ट्रेप बॉक्स, ट्रेप में काम आने वाली समस्त सामग्री, लेपटॉप मय प्रिन्टर एवं डिजिटल वॉईस रिकार्डर को रखवाया गया। तत्पश्चात श्री ज्ञानचन्द पुलिस उप अधीक्षक के हमराह मन् पुलिस निरीक्षक मय शिवनारायण हैड कानि. 30, राम सिंह कानि. 78, राजकमल कानि. 330 के प्राइवेट वाहन से एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान, मनोज कानि. 452, जितेन्द्र सिंह कानि. 413 व चालक प्रेमप्रकाश कानि. 350 सरकारी वाहन बोलेरो से ट्रेप कार्यवाही हेतु कस्बा डाबी रवाना हुये।

समय 11.30 ए.एम. पर श्री ज्ञानचन्द उप अधीक्षक के हमराह मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाप्ते के प्राइवेट व सरकारी वाहनों से कोटा से बिजोलिया जाने वाले हाइवे पर परिवादी के बताये स्थान कस्बा डाबी से आगे पहुँचें, जहां पाबन्दशुदा परिवादी खाना मेघवाल उपस्थित मिला। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया एवं कार्यवाही में बतौर गवाह सहने की सहमति चाहे जाने पर अपनी-अपनी मौखिक सहमति देने पर दोनों गवाहों के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये।

समय 11.40 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री खाना पुत्र कालू उम्र 64 साल जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा थाना डाबी जिला बूंदी ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये मन पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये। नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। उक्त नोटों के नम्बर मन् पुलिस निरीक्षक एवं गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 द्वारा सरकारी वाहन बोलेरो के डेस्क बोर्ड बॉक्स से फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी तथा गाडी से एक अखबार मंगवाकर एन.एच. 76 कस्बा डाबी से बिजोलिया की तरफ हाईवे पर साइड में खाली जगह में बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त नोटों को रखकर सभी नोटो पर श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री खाना मेघवाल की जामा तलाशी गवाह श्री मुकेश कुमार से लिवाई

गई। परिवादी के पास उसके मोबाईल फोन के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गई। तत्पश्चात परिवादी श्री खाना मेघवाल की पहने हुये कुर्ते की सामने की जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नम्बरी नोटो को श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से रखवाये गये। गाडी से एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमे सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 की फिनोफ्थलीन युक्त दायें हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिस पर परिवादी श्री खाना मेघवाल व स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी अधिकारी उक्त पाउडर लगे नोटो को छुयेगा तो उसके हाथों में फिनोफ्थलीन पाउडर लग जायेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस प्राईवेट वाहन मे डेस्क बार्ड बॉक्स मे रखवाई गई तथा जिस अखबार पर रखकर नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया था उस अखबार को जलवाया गया। श्री प्रेमप्रकाश चालक कानि. 350 के दोनों हाथों को साबुन व साफ पानी से धुलवाये गये। परिवादी श्री खाना मेघवाल को रिश्वत लेन देन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने हेतु सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर को चलाने व बन्द करने की विधि समझा कर सम्भलाया गया एवं दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को रिकार्डर मे रिकार्ड करने के निर्देश दिये गये। परिवादी से समझाइश की गई कि आरोपी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर टीम सदस्यों की ओर इशारा करें। कार्यवाही की फर्द मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई।

समय 12.10 ए.एम. पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को मौखिक बताया कि मैंने मेरे स्तर पर पता किया है कि गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी व रामकुमार गुर्जर पटवारी दोनों अभी पटवार घर नही आये है एवं पटवारी रामकुमार तहसील तालेडा में गया हुआ है। अतः आरोपीगण के आने की प्रतीक्षा में गोपनीय स्थान कस्बा डाबी में मुकीम हुये।

समय 12.50 पी.एम. पर परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि पटवारी रामकुमार गुर्जर तहसील तालेडा में है तथा गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी उप तहसील डाबी में पटवार घर आ गया है। अतः चालक श्री प्रेमप्रकाश कानि. 350, श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 को रामकुमार गुर्जर पटवारी पर निगरानी हेतु सरकारी वाहन बोलेरो से कस्बा तालेडा रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के उप तहसील डाबी रवाना हुआ।

समय 01.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व जाप्ते के उप तहसील डाबी के सामने पहुँचा। एसीबी जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान को उप तहसील डाबी के सामने अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात श्री राम सिंह कानि. 78 को निर्देश दिये गये कि परिवादी के आरोपी गोबरीलाल से रिश्वत लेन-देन हेतु उप तहसील डाबी में जाते समय डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालु करवाकर परिवादी को रिश्वत लेन-देन हेतु रवाना करें एवं रिश्वत प्राप्ति के बाद मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत देकर परिवादी के हमराह उप तहसील डाबी रवाना किया गया।

समय 01.40 पी.एम. पर परिवादी श्री खाना मेघवाल से आरोपी गोबरी लाल ग्राम प्रतिहारी द्वारा रिश्वत लेने बाबत् श्री राम सिंह कानि. 78 को पूर्व निर्धारित सिर पर हाथ फेर कर ईशारा करने पर श्री राम सिंह कानि. द्वारा कार्यालय उप तहसील डाबी के गेट पर आकर एसीबी टीम को रिश्वत लेने के सम्बंध में सूचित किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व एसीबी टीम को लेकर कार्यालय उप तहसील डाबी परिसर के अंदर आया तो मेन गेट पर परिवादी मिला, जिससे डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करवाकर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी से पूछने पर आगे आगे चलकर कार्यालय उप तहसील भवन के अंदर प्रवेश कर सामने खड़े व्यक्ति की ओर ईशारा करके बताया कि यही गोबरी लाल ग्राम प्रतिहारी है, जिसने अभी अभी मेरे से पटवारी जी से दिनांक 14.03.2023 को हुई बातचीत के अनुसार 20,000/-रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रख लिये।

कार्यालय उप तहसील डाबी में स्थानीय लोगों की काम के लिए आमद रफत होने के कारण मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते की इमदाद से आरोपी गोबरी लाल को लेकर भवन के प्रथम तल पर एक खाली कमरे में लेकर गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पद व नाम का पूर्ण परिचय देते हुये आने के प्रयोजन से अवगत करवाते हुये गोबरी लाल से उसका पूर्ण नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री गोबरीलाल पुत्र रामदयाल जाति ढोली उम्र 42 साल निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल ग्राम प्रतिहारी पटवार हल्का गोपालपुरा उप तहसील डाबी, तहसील तालेडा जिला बूंदी होना बताया। आरोपी गोबरी लाल को परिवादी खाना मेघवाल से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर बताया कि खाना मेघवाल ने कब्जे की सरकारी जमीन के सम्बंध में तहसील की ओर से जारी होने वाले धारा 91 के नोटिस में स्वयं का नाम रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए, पटवारी रामकुमार जी को देने के लिए मुझे 20,000/-रूपये दिये, जो मैनें लेकर मेरी पेंट की जेब में

[redacted]

रख लिये है। इस पर आरोपी गोबरी लाल की तलाशी स्वतंत्र गवाह मुकेश कुमार से लिवाई गई तो आरोपी गोबरी लाल के वक्त रिश्वत लेन देन पहनी हुई पेंट के सामने की अंदर की जेब से 500–500 रूपये के नोट मिले। जिनको गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के कुल 40 नोट राशि 20,000/–रूपये होना पाये। बरामद नोटो को गवाह मुकेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये।

आरोपी गोबरी लाल द्वारा पटवारी रामकुमार के लिए रिश्वत लेना स्वीकार किया है। अतः गोबरी लाल से उसके मोबाईल नं. 97838–11061 से समय 01.54 पी.एम. पर आरोपी पटवारी रामकुमार के मोबाईल नं. 95298–68232 पर वार्ता करवाई तो पटवारी द्वारा 20–25 मिनट में उप तहसील डाबी आनी की बात कहकर फोन काट दिया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने कस्बा डाबी में मुकीम श्री ज्ञानचंद उप अधीक्षक पुलिस को हालात अवगत कराये तो उन्होने बताया कि आप घटनास्थल पर आरोपी पटवारी का इंतजार करो। मैं धनेश्वर टोल प्लाजा पर जाकर आरोपी को आते समय डिटेन करने का प्रयास करूंगा। करीब 25 मिनट उपरान्त उप अधीक्षक पुलिस ने बताया कि आरोपी पटवारी सफेद रंग की क्रेटा कार कार नं. आर.जे.08 सी.बी. 5362 में धनेश्वर से डाबी की तरफ आ रहा है तथा मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ तथा आरोपी को आप जाप्ते की मदद से डिटेन कर लेना।

समय 02.23 पी.एम. पर एक सफेद रंग की क्रेटा कार नं. आर.जे.08 सी.बी. 5362 कार्यालय उप तहसील डाबी परिसर में प्रवेश कर भवन के पास आकर रूकी कार से पेंट शर्ट पहने हुये एक व्यक्ति उतरा जिसको मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसनेअपना नाम रामकुमार पुत्र श्री लाखन सिंह उम्र 32 साल जाति गुर्जर मूल निवासी ग्राम फुसपुरा पोस्ट धोर तहसील बसेडी जिला धोलपुर हाल निवासी प्लाट नं. जे–14 पार्वतीपुरम कुन्हाडी कोटा शहर हाल पटवारी हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी होना बताया।

उक्त रामकुमार, पटवारी से दिनांक 14.03.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी खाना मेघवाल से रिश्वत के रूप में 50–60 हजार रूपये की मांग करके वार्ता के दौरान 10,000/–रूपये प्राप्त करना एवं शेष राशि कल परसों मंगवाने के सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई जवाब नही दिया तथा चुप्पी साध ली। इस पर पटवारी रामकुमार गुर्जर को साथ लेकर भवन के प्रथम तल पर पूर्व से डिटेनशुदा आरोपी गोबरी लाल से आमना सामना करवाया जाकर गोबरी लाल से पूछा गया तो गोबरी लाल ने बताया कि खाना मेघवाल मेरे गांव गोपालपुरा का ही रहने वाला है। खाना के पिता कालू की मौत हो चुकी है। गोपालपुरा में कालू के परिवारजनों के कब्जे में करीब 10 बीघा सरकारी भूमि है, जिस पर कालू की मृत्यु के बाद उसका परिवार काबिज है उक्त भूमि का कालू की मौत के बाद रिकार्ड में उसके बेटे खाना व धनश्याम के नाम नोटिस जारी करवाने के लिए खाना कई दिनों से चक्कर काट रहा था। जिसका कब्जा काश्त रिकार्ड में दर्ज करने के लिए खाना ने मेरे से कहा तो मैनें खाना को बता दिया था कि पैसे लगेगें चाहे पटवारी से बात कर लेना। इसके बाद खाना मेरे पास एक दो बार आया था तो मैनें पटवारी जी को बता दिया था। इसके बाद आज खाना मेरे पास उप तहसील में आया तथा मेरे को कहा कि पटवारी जी से बात हो गई है यह लो रूपये। इस पर मैनें खाना से रूपये लेकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये। इसके बाद आप लोगो ने मुझे पकड लिया। आपने मेरे को पटवारी जी से फोन पर बात करवाई तो पटवारी जी ने कहा कि मैं 20–25 मिनट में डाबी आ रहा हूँ। मैं हल्का गोपालपुरा का ग्राम प्रतिहारी होने के कारण पटवारी रामकुमार गुर्जर के कहेअनुसार काम करना पड़ता है। खाना मेघवाल ने मुझे 20,000/–रूपये दिये है वो रूपये मैं पटवारी रामकुमार जी को देता।

आरोपी गोबरी लाल ग्राम प्रतिहारी के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर आरोपी के दोनो हाथों की धुलाई आवश्यक होने से कार्यालय उप तहसील डाबी से साफ पानी मंगवाकर दो साफ कांच के गिलासों में पानी भरवाकर उसमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। पहले गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी गोबरी लाल के दायें हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क RH–1, RH–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। दूसरे गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी गोबरी लाल के बांये हाथ की अंगुलियो को डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा आधा डालकर सील मुहर किया जाकर मार्क LH–1, LH–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने गवाह मुकेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये 500–500 रूपये के नोटो को दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/–रूपये होना पाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान से नोटो के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकसी व दृष्टांत में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर नोटो के नम्बर फर्द मे अकिंत नम्बरों से हु ब हु मिलान होकर बरामद नोट रिश्वती राशि के होना पाये गये। बरामद नोटों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.स.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये	8 TW 077930

2	एक नोट पांच सौ रूपये	5 CM 826514
3	एक नोट पांच सौ रूपये	5 KT 166295
4	एक नोट पांच सौ रूपये	3 DN 900355
5	एक नोट पांच सौ रूपये	6 GK 934326
6	एक नोट पांच सौ रूपये	3 DN 461175
7	एक नोट पांच सौ रूपये	0 EV 185442
8	एक नोट पांच सौ रूपये	3 FA 419627
9	एक नोट पांच सौ रूपये	8 HG 920764
10	एक नोट पांच सौ रूपये	4 EP 739855
11	एक नोट पांच सौ रूपये	2 NV 206887
12	एक नोट पांच सौ रूपये	9 CN 639737
13	एक नोट पांच सौ रूपये	2 PD 598268
14	एक नोट पांच सौ रूपये	7 HA 161264
15	एक नोट पांच सौ रूपये	0 SN 043633
16	एक नोट पांच सौ रूपये	6 UH 820234
17	एक नोट पांच सौ रूपये	2 LR 890967
18	एक नोट पांच सौ रूपये	5 UQ 362211
19	एक नोट पांच सौ रूपये	7 VQ 741749
20	एक नोट पांच सौ रूपये	1 RF 825410
21	एक नोट पांच सौ रूपये	6 GD 614090
22	एक नोट पांच सौ रूपये	6 CC 975074
23	एक नोट पांच सौ रूपये	8 ED 124591
24	एक नोट पांच सौ रूपये	8 EP 085098
25	एक नोट पांच सौ रूपये	3 FU 292348
26	एक नोट पांच सौ रूपये	8 EP 634385
27	एक नोट पांच सौ रूपये	9 DQ 393663
28	एक नोट पांच सौ रूपये	7 GF 753532
29	एक नोट पांच सौ रूपये	3 CB 852491
30	एक नोट पांच सौ रूपये	1 BB 370777
31	एक नोट पांच सौ रूपये	6 DW 329952
32	एक नोट पांच सौ रूपये	9 US 345514
33	एक नोट पांच सौ रूपये	7 QF 988796
34	एक नोट पांच सौ रूपये	1 BL 478461
35	एक नोट पांच सौ रूपये	5 HG 467787
36	एक नोट पांच सौ रूपये	6 BA 386874
37	एक नोट पांच सौ रूपये	8 BS 099505
38	एक नोट पांच सौ रूपये	8 UM 293171
39	एक नोट पांच सौ रूपये	9 FU 414272
40	एक नोट पांच सौ रूपये	4 VR 860095

उक्त रिश्वती नोटो को एक कागज के लिफाफे में रखकर, विवरण अकिंत कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

आरोपी गोबरी लाल द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि लेकर अपनी पहनी हुई पेंट के सामने अंदर की जेब में रखी थी। कार्यालय स्टाफ से मौके पर एक पजामा मंगवाया जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट को चेंज करवाया गया। एक अन्य कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। गिलास के सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में आरोपी श्री गोबरी लाल के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट के अंदर की जेब को उल्टा करवाकर डूबाकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की शीशियो मे आधा–आधा डालकर शीशियो को सील मुहर किया जाकर मार्क P–1, P–2 अंकित कर चिट पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी के वक्त घटना पहनी हुई पेन्ट बरंग स्लेटी लाल लाईनदार को कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क– P अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया।

आरोपी रामकुमार, पटवारी से पुनः पूछताछ करने पर बताया कि मैं हल्का धनेश्वर का पटवारी हूँ तथा हल्का गोपालपुरा का मेरे पास अतिरिक्त चार्ज है। हल्का गोपालपुरा में मेरे काम की मदद के लिए गोबरी लाल को ग्राम प्रतिहारी लगा रखा है। गोबरी लाल पटवार घर में बैठकर मेरा काम देखता है। खाना मेघवाल ने गोबरी लाल से क्या बातचीत की मुझे नही पता। गोबरी लाल ने मेरे से मोबाईल पर कभी खाना मेघवाल की जमीन रिकार्ड में दर्ज करने के सम्बन्ध में कभी बात की हो तो मुझे याद नही है। दिनांक 14.03.2023 को मैं पटवार घर डाबी में स्थित मेरे कमरे में बैठकर काम कर रहा था तब मेरे पास हल्का धनेश्वर का ग्राम प्रतिहारी श्याम बैठा था तब खाना मेघवाल मेरे पास आया था, तो मैनें खाना से कोई पैसे नही लिये। मेरे पास खाना मेघवाल कब्जे काश्त की भूमि का धारा 91 का नोटिस जारी करवाने एवं भूमि का रिकार्ड स्वंय व भाई धनश्याम के नाम दर्ज करवाने आया था तब मैंने खाना से जमीन का कब्जा मौके पर जाकर देखने की बात की थी तथा कब्जा देखने के बाद ही रिकार्ड में खाना व उसके भाई के नाम दर्ज करने के सम्बंध में बातचीत की थी। मेरी रिपोर्ट के बाद ही तहसीलदार के कार्यालय से खाना व उसके भाई धनश्याम के नाम नोटिस जारी होता। खाना ने मेरे को दिनांक 14.03.2023 को बातचीत के दौरान 10,000 रूपये अपनी मर्जी से ही दिये थे, जो मैंने खर्च कर दिये है। इसके बाद खाना दो दिन बाद आने की कहकर वापस चला गया था।

दोनो आरोपीगणो के द्वारा बताये गये तथ्यों का खण्डन करते हुये परिवादी खाना मेघवाल ने बताया कि मेरे पिता कालू की ग्राम गोपालपुरा में स्थित करीब 10 बीघा जमीन पर वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा खेती काश्त करते थे तथा तहसील कार्यालय से उनके कब्जे के नाम से ही नोटिस जारी होते थे, मेरे पिताजी की मृत्यु हुये 18 साल हो गये। उसके बाद से जमीन का कब्जा काश्त मेरे व मेरे भाई धनश्याम के नाम रिकार्ड में दर्ज करने के लिए नोटिस जारी करवाने के सम्बंध में मेरे गांव के ग्राम प्रतिहारी गोबरी लाल से मिला तो उसने मेरे से पटवारी जी के लिये 50,000/–रूपये रिश्वत की मांग की। उक्त बातचीत को मैनें मेरे मोबाईल से रिकार्ड भी कर लिया था। उसके बाद मैनें दिनांक 01.03.2023 को एसीबी ऑफिस बून्दी जाकर रिपोर्ट दी थी। जिस पर आपके ऑफिस से दिनांक 02.03.2023 को राम सिंह कानि. मेरे पास डाबी आया तो पटवार घर में जाकर मैनें गोबरी लाल से बात की तो उसने मौके से ही पटवारी जी रामकुमार से भी फोन पर बात की थी, तब पटवारी जी ने अगले दिन आने को कहा था, इसके बाद पटवारी जी कई दिनों तक ऑफिस नही आया। उसके बाद दिनांक 14.03.2023 को मेरे द्वारा सूचना देने पर आपके कार्यालय से रामसिंह जी कानि. डाबी आये थे तो पटवार घर में रामकुमार जी पटवारी मिल गये। जिनसे मैनें बात की तथा कहा कि गोबरी लाल जी मेरे कब्जे की सरकारी जमीन का नोटिस मेरे नाम जारी करवाने की एवज में 60–70 हजार रूपये की कहा है तो पटवारी ने मेरे से कहा कि अभी कितने लाया है तो मैनें 10,000/–रूपये होने की कहा तब पटवारी जी ने मौके पर मेरे से 10,000/–रूपये ले लिये तथा मुझे कल परसो आने की बात कही थी। उस समय पटवारी के पास एक अन्य व्यक्ति भी मौजूद था, जिसने पटवारी जी के सामने मेरे मोबाईल नम्बर भी लिखे। दिनांक 02.03.2023 व 14.03.2023 को हुई बातचीत को मैनें रामसिंह द्वारा दिये गये डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली थी। मेरे से गोबरी लाल और रामकुमार पटवारी दोनो मिलीभगत करके 50,000/–रूपये रिश्वत मांग रहे थे। आज मेरे पास 20,000/–रूपये की ही व्यवस्था हो पाई, उक्त रूपये गोबरी लाल ने मेरे से लिये है।

ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी खाना मेघवाल के पिता कालू के नाम ग्राम गोपालपुरा में सिवायचक भूमि पर काबिज होकर खेती काश्त की जा रही थी तथा राजस्व रिकार्ड में परिवादी के पिता के नाम शामलाती कब्जा रिकार्ड में दर्ज थी। परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद परिवादी द्वारा ग्राम प्रतिहारी श्री गोबरी लाल व पटवारी श्री रामकुमार से मिलकर उक्त भूमि के संबंध में पटवारी की मौका रिपोर्ट के उपरांत तहसील कार्यालय से जारी कब्जे के नोटिस में परिवादी स्वंय व उसके भाई धनश्याम का नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया तो आरोपीगण द्वारा आपसी मिलीभगत कर 50,000/–रूपये रिश्वत की मांग की गई। शिकायत का दिनांक 02.03.2023 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तथा परिवादी द्वारा स्वंय के मोबाईल में की गई रिकार्ड वार्ता से आरोपी गोबरी लाल द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर परिवादी से 50,000/–रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

दिनांक 14.03.2023 को आरोपी रामकुमार गुर्जर पटवारी द्वारा परिवादी से दौराने सत्यापन रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत की गई। उक्त वार्ता से आरोपी गोबरी लाल एवं आरोपी रामकुमार गुर्जर द्वारा परिवादी से उपरोक्त कार्य के लिए आपसी मिलीभगत कर 50,000/–रूपये मांगने की पुष्टि हुई। आरोपी पटवारी रामकुमार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से मौके पर ही 10,000/–रूपये रिश्वत लेने एवं एक दो दिन में शेष राशि लेकर बुलाने की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.03.2023 से होना पाया गया।

बाद सत्यापन दिनांक 16.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी को परिवादी से 20,000 रू रिश्वत लेते हुये कार्यालय उप तहसील डाबी में रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट के सामने की अंदर की जेब से बरामद की गई।आरोपी गोबरी लाल के

दोनो हाथो एवं आरोपी के वक्त घटना पहनी हुई पेंट की जेब के धोवन का रंग सोडियम कार्बोनेट के घोल में पृथक–पृथक लिया गया तो हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है।

आरोपीगण रामकुमार पुत्र श्री लाखन सिंह उम्र 32 साल जाति गुर्जर मूल निवासी ग्राम फुसपुरा पोस्ट धोर तहसील बसेडी जिला धोलपुर हाल निवासी प्लाट नं. जे–14 पार्वतीपुरम कुन्हाडी कोटा शहर हाल पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी एवं गोबरीलाल पुत्र रामदयाल जाति ढोली उम्र 42 साल निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल ग्राम प्रतिहारी पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदीका उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। फर्द बरामदगी रिश्वत राशि मूर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात परिवादी खाना मेघवाल की निशादेही से स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ट्रेप कार्यवाही के घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका पृथक से मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। इसके बाद दोनों आरोपीगण को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं व वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप के जरिये चलाकर वार्ताओं के अंश सुनाये गये एवं आरोपीगण को अपनी आवाज का नमूना दिये जाने के सम्बंध में गवाहान के समक्ष पृथक–पृथक लिखित में जरिये फर्द नोटिस दिया गया तो आरोपीगण ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में आवाज का नमूना देने से मना कर दिया। नोटिसों को शामिल पत्रावली किया गया।

कार्यवाही से आरोपी गोबरीलाल पुत्र रामदयाल जाति ढोली उम्र 42 साल निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल ग्राम प्रतिहारी पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी व आरोपी रामकुमार पुत्र श्री लाखन सिंह उम्र 32 साल जाति गुर्जर मूल निवासी ग्राम फुसपुरा पोस्ट धोर तहसील बसेडी जिला धोलपुर हाल निवासी प्लाट नं. जे–14 पार्वतीपुरम कुन्हाडी कोटा शहर हाल पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए पी.सी. (संशोधित) एक्ट 2018 व धारा 120बी. भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया जाने पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द पृथक–पृथक आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

सत्यापन एवं ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी एवं आरोपगीणों के मध्य आपस में फोन पर वार्तायें होने की पुष्टि हुई है। अतः आरोपी गोबरीलाल, ग्राम प्रतिहारी के कब्जे में मिले मोबाईल फोन को जरिये फर्द बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर जप्त किया जाकर मार्क M–1 दिया गया। तत्पश्चात आरोपी रामकुमार गुर्जर, पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी के कब्जे में मिले मोबाईल फोन को जरिये फर्द बतौर वजह सबूत एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर जप्त किया जाकर मार्क M–2 दिया गया।

समय 08.20 पी.एम. पर मौके की कार्यवाही के बाद मन् पुलिस निरीक्षक मय पुलिस उप अधीक्षक एवं परिवादीगण, स्वतंत्र गवाहान तथा एसीबी जाप्ते के आरोपीगण रामकुमार गुर्जर पटवारी व गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी को हमराह लेकर एवं जप्तशुदा रिश्वत राशि मय आर्टिकल के सरकारी/प्राइवेट वाहनों से रवाना होकर थाना कोतवाली बूंदी पहुँचां, दोनों आरोपीगण को थाना कोतवाली में बन्द हवालात करवाया जाकर समय 10.10 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय बूंदी आया। कार्यवाही में जप्त रिश्वत राशि मय आर्टिकल्स को मालखाना प्रभारी श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के जरिये जमा मालखाना करवाया गया।

समय 10.40 पी.एम. पर परिवादी श्री खाना मेघवाल तथा आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी के मध्य दिनांक 02.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम, जो परिवादी से सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी खाना मेघवाल से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 17.03.2023 समय 01.30 ए.एम. पर परिवादी श्री खाना मेघवाल तथा आरोपी रामकुमार गुर्जर पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी के मध्य दिनांक 14.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय, जो परिवादी से सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी खाना मेघवाल से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 04.30 ए.एम. पर परिवादी खाना मेघवाल द्वारा दिनांक 27.02.2023 को आरोपी गोबरीलाल से रिश्वत के सम्बंध में हुई वार्ता को अपने मोबाईल से रिकार्ड करना बताकर दिनांक 02.03. 2023 को पेश किया गया था, उक्त वार्ता श्री राम सिंह के मोबाईल में सुरक्षित है। अतः श्री राम सिंह कानि. 78 के मोबाईल से उक्त वार्ता को लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया

एवं वार्ता की पहचान परिवादी खाना मेघवाल से करवाई जाकर उक्त रिश्वत सम्बंधी मोबाईल फोन से रिकार्ड वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 07.00 ए.एम. पर परिवादी श्री खाना मेघवाल तथा आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी के मध्य दिनांक 16.03.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता, जो परिवादी से सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करवाई गई थी, उक्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकार्डर से लेपटॉप में लेकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया एवं वार्ता की पहचान परिवादी खाना मेघवाल से करवाई जाकर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रीप्ट श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में तैयार करवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 08.30 ए.एम. पर परिवादी खाना मेघवाल पुत्र कालू उम्र 64 साल जाति मेघवाल निवासी गोपालपुरा थाना डाबी जिला बूंदी तथा आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी के मध्य दिनांक 02.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–प्रथम, परिवादी तथा आरोपी रामकुमार गुर्जर पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी के मध्य दिनांक 14.03.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता–द्वितीय, परिवादी खाना मेघवाल तथा आरोपी गोबरीलाल के मध्य दिनांक 16.03.2023 को वक्त रिश्वत लेन–देन हुई वार्ता सहित कुल 3 रिकार्ड वार्ताओं को परिवादी से सरकारी डिजिटल वॉईस रिकार्डर के मैमारी कार्ड में रिकार्ड करवाया गया है तथा दिनांक 27.02.2023 को परिवादी तथा आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी के मध्य हुई वार्ता जिसको परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में रिकार्ड किया गया था उक्त रिश्वत सम्बंधी मोबाईल वार्ता को पेश किया गया है। उपरोक्त 4 वाताओं को श्री जितेन्द्र सिंह कानि. 413 से मेरे निर्देशन में डिजिटल वॉईस रिकार्डर के जरिये सरकारी लेपटॉप में 4 पृथक–पृथक मैमोरी कोर्ड में डब्ड करवाया गया। जिसमें से मूल मैमारी कार्ड न्यायालय के लिये, 2 मैमारी कार्ड आरोपीगण के लिये, 1 मैमोरी कार्ड एफएसएल/नमूना आवाज हेतु पृथक–पृथक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया एवं एक मैमोरी कार्ड को अनुसंधान अधिकारी के लिये बिना सील किये कागज के लिफाफे में रखा गया। फर्द डबिंग व जब्ती मैमोरी कार्ड मूर्तिब कर शामिल कार्यवाही की गई। जप्त मैमोरी कार्ड को श्री शिवनारायण हैड कानि. 30 के जरिये मालखाना में जमा करवाया गया। बाद ट्रेप कार्यवाही के परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी खाना मेघवाल के पिता कालू के नाम ग्राम गोपालपुरा में स्थित खसरा नम्बर 209 रकबा करीब 10 बीघा सिवायचक भूमि पर काबिज होकर खेती काश्त की जा रही थी तथा राजस्व रिकार्ड में परिवादी के पिता के नाम शामलाती कब्जा रिकार्ड में दर्ज थी। परिवादी के पिता की मृत्यु के बाद परिवादी द्वारा ग्राम प्रतिहारी श्री गोबरी लाल व पटवारी श्री रामकुमार से मिलकर उक्त भूमि के संबंध में पटवारी की मौका रिपोर्ट के उपरांत तहसील कार्यालय से जारी कब्जे के नोटिस में परिवादी स्वंय व उसके भाई धनश्याम का नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया तो आरोपीगण द्वारा आपसी मिलीभगत कर 50,000/–रूपये रिश्वत की मांग की गई। शिकायत का दिनांक 02.03.2023 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तथा परिवादी द्वारा स्वंय के मोबाईल में की गई रिकार्ड वार्ता से आरोपी गोबरी लाल द्वारा पटवारी से मिलीभगत कर परिवादी से 50,000/–रूपये रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई।

दिनांक 14.03.2023 को आरोपी रामकुमार गुर्जर पटवारी द्वारा परिवादी से दौराने सत्यापन रिश्वत के सम्बन्ध में बातचीत की गई। उक्त वार्ता से आरोपी गोबरी लाल एवं आरोपी रामकुमार गुर्जर द्वारा परिवादी से उपरोक्त कार्य के लिए आपसी मिलीभगत कर 50,000/–रूपये मांगने की पुष्टि हुई। आरोपी पटवारी रामकुमार द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी से मौके पर ही 10,000/–रूपये रिश्वत लेने एवं एक दो दिन में शेष राशि लेकर बुलाने की पुष्टि रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.03.2023 से होना पाया गया। बाद सत्यापन दिनांक 16.03.2023 को ट्रेप कार्यवाही करते हुये आरोपी गोबरीलाल ग्राम प्रतिहारी को परिवादी से 20,000 रू रिश्वत लेते हुये कार्यालय उप तहसील डाबी में रंगे हाथ पकडा जाकर रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई पेंट के सामने की अंदर की जेब से बरामद की गई। आरोपी गोबरी लाल के दोनो हाथो एवं आरोपी के वक्त घटना पहनी हुई पेंट की जेब के धोवन का रंग सोडियम कार्बोनेट के घोल में पृथक–पृथक लिया गया तो हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ है।

आरोपीगण रामकुमार गुर्जर पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी एवं गोबरीलाल ढोली ग्राम प्रतिहारी पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी का उक्त कृत्य धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 14.03.2023 में आरोपी रामकुमार गुर्जर पटवारी द्वारा परिवादी से 10,000 रूपये रिश्वत प्राप्त करते समय मौके पर उसके कार्यालय में पटवार हल्का धनेश्वर का ग्राम प्रतिहारी श्याम नामक व्यक्ति के उपस्थित

होने का कथन किया है, उक्त कथित व्यक्ति द्वारा परिवादी परिवादी से उसके काम के सम्बंध में रिश्वत सम्बंधी वार्ता करना पाया गया है जिसकी भूमिका के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है।

फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता, फर्द हाथ धुलाई एवं जप्ती पेन्ट, फर्द जप्ती मोबाईल आदि के आधार पर आरोपीगण 1. रामकुमार पुत्र श्री लाखन सिंह उम्र 32 साल जाति गुर्जर मूल निवासी ग्राम फुसपुरा पोस्ट धोर तहसील बसेडी जिला धोलपुर हाल निवासी प्लाट नं. जे–14 पार्वतीपुरम कुन्हाडी कोटा शहर हाल पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी एवं 2. गोबरीलाल पुत्र रामदयाल जाति ढोली उम्र 42 साल निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी हाल ग्राम प्रतिहारी पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील तालेडा जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व धारा 120बी. भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि. ब्यूरो मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(हरीश भारती)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हरीश भारती, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी. भा.दं.सं. में आरोपीगण 1. श्री रामकुमार, पटवारी, पटवार हल्का धनेश्वर, अतिरिक्त चार्ज पटवार हल्का गोपालपुरा, तहसील तालेडा, जिला बूंदी एवं 2. श्री गोबरीलाल पुत्र रामदयाल, ग्राम प्रतिहारी, पटवार हल्का गोपालपुरा, तहसील तालेडा, जिला बूंदी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 62/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

17.3.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 491-94 दिनांकः- 17.3.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. जिला कलक्टर, बून्दी।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।

17.3.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।